been taken. On the other hand, management is reportedly organising goonda attacks on the office bearers of the recognised union creating serious tension. The situation may deteriorate bring in the production to a halt unless there is prompt intervention.

Another aspect of the issue is that the unnecessary retrenchment, loss of production for six months, unprecendented repression on the workers and the present state of affairs indicate mismanagement of company finances, for which an inquiry should be ordered to protect the interest of shareholders. As finances of public institutions and a large number of workers are involved, the Union Government should take prompt steps.

REFERENCE TO THE NEED FOR AMENDMENTS IN THE LAND ACQUISITION ACT

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा एक विशेष महत्व के प्रश्न से इस सदन और इस सरकार को अवगत कराना चाहता हूं । भूमि अधिग्रहण कानून एक लम्बे समय से केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है । मैं चाहता हूं कि वह इसी सत्र में—भले ही लोकसभा का समय बढ़ाया जाये—पास करना चाहिए । भूमि अधिग्रहण कानून की वजह से हमारे देश के किसानों में काफी असन्तोष और बेचैनी है । आप जानते हैं, उपसभाध्यक्ष महोदय, किसान की जमीन बहुत कम दाम पर, सस्ते दाम पर अधिग्रहण कर ली जाती है और अमल में यहां तक होता है कि किसान को पता नहीं पड़ता कि उस की जमीन अधिग्रहण कर ली गयी है । नोटिस दिये जाते हैं लेकिन उन की सूचना हमारे किसानों को नहीं पहुंचती । उद्योग मंत्री तिवारी जो बैठे हैं, मुख्य मंत्री रह चुके हैं, इस कारण वे इस के दुरुपयोग के बारे में जानते होंगे । यहां तक होता है कि अधिग्रहण केवल कागजों में हो जाता है और बेचारे किसान को मालूम भी नही पड़ता । इस तरह की ज्यादतियों के शिकार इस कानून के कारण किसान हो रहे हैं । मैं चाहता हूं कि इस कानून को जल्दी से जल्दी पास किया जाय ।

और जो मुआवजे हैं किसान की जमीन के वह जल्दी नहीं दिये जाते । अरसा-अरसा मुआवजा किसानों को नहीं दिया जाता । इसलिए भी जरुरी है कि इस कानून को हम जल्दी पास करें । किसान को जमीन का दाम कम दिया जाता है । एक गज कपड़े का दाम किसान की एक गज जमीन से ज्यादा होता है, इतना कम मुआवजा दिया जाता है जब कि उस की रोजी छीन ली जाती है । जो सार्वजनिक हित के सवाल हैं उन के लिए जमीन अधिग्रहण जरूर हो, लेकिन व्यक्तिगत काम के लिए जमीन लिया जाना किसान के हित में नही है । मैं यह भी इस मौके पर कहना चाहता हूं कि किसान की मर्जी के खिलाफ जमीन कभी एक्वायर न की जाय और मुआवजा देने के बाद ही किसान की जमीन पर कब्जा होना चाहिए । जिन किसानों की जमीन ली जाय उन के परिवार के लिए काफी लम्बे समय के लिए प्लाट देने चाहिए । उन के बच्चों को जो बेरोजगार किया जाता है उन को वहां के कारखानों में या नौकरी में प्राथमिकता देनी चाहिए । मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जो बहुत बड़ा दुरुपयोग जमीन के एक्वायर करने से हो रहा है वह एक तरह का राष्ट्रीय अहित है और मुझे जानकारी है और तिवारी जी भी जानते होंगे कि गाजियाबाद में और फरीदाबाद में और दिल्ली में और चूंकि देश में बड़े शहर बढ़ रहे हैं वहां भी 20, 20 साल से जमीनें एक्वायर कर ली गयी हैं और न वहां कोई मकान

[श्री रामचन्द्र विकल]

हैं और न कोई कारखानें हैं, और गाजियाबाद में तो मैं जानता हूं कि 20 साल से जमीन ली हुई पड़ी है । लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधान मंत्री थे । उन्होंने आदेश दे दिया था कि जो जमीन किसान की खाली पड़ी है वह उस को लौटा दी जाय । वह उस पर खेती करे और जब उस की जरूरत हो तो वह ले ली जाय । आज इस से देश का बड़ा राष्ट्रीय अहित हो रहा है । शहरों के बढ़ते हुए आकार के लिये जमीन को पहले से एक्वायर कर लिया गया है और बहुत से लोग तो वहां जमीन का व्यापार कर रहे हैं । पहले जमीन ले लेते हैं और किसान का जो मुआवजा है उस से 50 गुना कीमत उस की वसूल करते हैं । तो किसान को इस तबाही से बचाने के लिये इसी सत्र में भूमि अधिग्रहण कानून आप पास करें । यही आप से कहना चाहता हूं ।

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF INDUSTRY

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SYED RAHMAT ALI): Now, we take up discussion on the working of the Ministry of Industry (*Interruptions*)

SHRI S. W. DHABE (Maharashtra): Sir, I am on a point of order. I want to mention that today's Calling Attention was not expected to come up today and it took a long time. And now only we are starting the discussion on the working of the Ministry of Industry. It is very seldom that we get an opportunity to discuss this Ministry. And one full day is reserved for the discussion. If we start the discussion now, it will go up to 9 O' clock. Therefore, I request you to allow the discussion upto 6 O' clock and the rest we can continue tomorrow so that a full-fledged discussion can take place and a number of speakers can participate.

संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कहा है तो आप इस बहस को 6 बजे के बदले 8 बजे तक चला लीजिए, लेकिन आज इस को खत्म करना है क्योंकि कल बहुत सा बिजनेस है और उस सब को खत्म करना है।

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra): Sir I would like to say that the discussion on this Ministry of Industry is a very important discussion. And the House has to discuss it threadbare. I therefore suggest that the Rajya Sabha may meet for one more day on the 11th and take up this discussion for the full day.

श्री कल्पनाथ राय : इस को आप 8 बजे तक ले चलिये ।

श्री सुशील चन्द महन्त (हरियाणा) : मेरी एक प्रार्थना है कि इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री का जो डिस्कशन है वह इतना वास्ट है कि उस में बहुत सी बातें आ जाती हैं । 1947 से, जब से हम को आजादी मिली उस के बाद से आज तक जो देश की दुर्दशा हो रही है....

SHRI J. K. JAIN (Madhya Pradesh): Sir, is he on a point of order or he has started the debate?

श्री सुशील चन्द महन्त : और आज जो हालत है देश की वह इस इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री की वर्किंग के कारण है । मैं यह कहूंगा कि इस के लिये वक्त अधिक नहीं है । इस के डाइरेक्शन फाल्टी हैं और प्रायरिटीज ठीक नहीं हैं **(व्यवधान)**

SHRI SURESH KALMADI: There should be a full-fledged discussion. . .

श्री सुशील चन्द महन्त : इस देश की करीबन सब प्राथमिकतायें इस के डिस्कशन में सामने आ जायेंगी **और**